

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

केनिकन कार्य सूची (सं. १)

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० अगस्त २००५ वि ३० अगस्त २००५ के दृष्टिकोण से इनिकन कार्य सूची (सं. १)

मंगलवार, दिनांक २६ नवम्बर, २००२ (अग्रहायण ५, १९२४) तथा
(संघीय) वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

समय १०.३० बजे दिन

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

१. निधन उल्लेख

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० वि�माननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (१) श्री गणेशराम अनेन्त, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा;
- (२) जबलपुर में भेड़ाघाट रोड पर एक टैम्पो की डम्पर से हुई टक्कर में
तथा जबलपुर-कुण्डम मार्ग पर एक यात्री बस के पलटने से मृत व्यक्ति;
- (३) जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर में आतंकी कार्यवाही में मृत व्यक्ति; तथा
उल्लेख
- (४) सीधी के समीप सोन नदी में यात्री बस गिरने से मृत व्यक्ति.

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

३. पत्रों का पठन पर रखा जाना

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(१) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा ३७ (२) एवं धारा ४० (७) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ३५ (२) एवं धारा ३६ (७) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष २०००-२००१ पटल पर रखेंगे।

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(२) श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का २७ वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष २०००-२००१ पटल पर रखेंगे।

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(३) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, १९५० की धारा ३३ की उपधारा (४) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सङ्कक परिवहन निगम के लेखे वर्ष १९९९-२००० तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

४. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(१) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, सतना जिले के रामनगर कस्बे में पुलिस द्वारा गोली चालन से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(२) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं की जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

५. याचिकाओं की प्रस्तुति

१० वीप्सूचि वि सदस्यालय १० विमाननाथ वि सदस्यालय सूची (सं. १)

(१) श्री धूलसिंह यादव, "वकील", सदस्य, राजगढ जिले के ग्राम कुरावर से कोटरीकला तक सङ्कुल बनाये जाने,

(२) श्री जगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम कोडुर स्थित माध्यमिक विद्यालय का उच्चयन कराये जाने,

(ख) ग्राम हाटी स्थित हाईस्कूल का उच्चयन कराये जाने,

(ग) ग्राम भाजीखेरा में हाईस्कूल खोले जाने, एवं

(घ) ग्राम पुरवा के पास नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने; तथा

(३) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ जिले के दरगुंबा-रामनगर मार्ग के वानघाट नाला पर स्टापडेम बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

(1) श्री हरवेंद्र सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटररखान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) दीवान चन्द्रभान सिंह, राज्यमंत्री श्रम, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबोध विधेयक, 2002 (क्रमांक 27 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का अन्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री पुरन सिंह बेड़िया, राज्यमंत्री जनशिकायत निवारण, मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री आरिफ अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 29 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विधानसभा (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक ३० सन् २००२) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(6) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

7. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अर्द्धा

उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा
 समय
 2 घन्टे मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा।

भोपाल : २५ नवम्बर २००२ (१) ८३१-४०७
दिनांक : २५ नवम्बर, २००२ डा. ए. के. पद्माली
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा